न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– जगदीश प्रसाद गोड (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 12/2018

1. अजीतसिंह उम्र 23 साल
2. अमितसिंह उम्र 21 साल
3. जितेन्द्रसिंह उम्र 19 साल

पुत्रगण श्री बजरंगसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दीपावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. पंकज शर्मा पुत्र श्री रामवतार शेखपुरा सीकर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
3. हल्का पटवारी दीपावास, सीकर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्रसिंह तंवर एडवोकेट– प्रार्थीगण
श्री कुंजबिहारी शर्मा एडवोकेट– अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 23.7.2018

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर पुराने 564 रकबा 0.10 हे. 592 रकबा 0.33 हे. 593 रकबा 0.10 हे. 594 रकबा 1.14 हे. 599 रकबा 0.19 हे. 612 रकबा 0.28 हे. 613 रकबा 0.05 हे. 614 रकबा 0.56 हे. 625 रकबा 0.05 हे. 626 रकबा 0.06 हे. 627 रकबा 0.19 हे. 631 रकबा 0.14 हे. 632 रकबा 0.25 हे. 635 रकबा 0.30 हे. 690 रकबा 0.60 हे. 691 रकबा 0.33 हे. 692 रकबा 0.06 हे. 713 रकबा 0.49 हे. 714 रकबा 0.46 हे. 769 रकबा 0.24 हे. 771 रकबा 0.61 हे. 772 रकबा 0.34 हे. 773 रकबा 0.03 हे. 774 रकबा 0.09 हे. 775 रकबा 0.48 हे. 776 रकबा 0.04 हे. 796 रकबा 0.08 हे. 802 रकबा 0.16 हे. 805 रकबा 0.33 हे. 806 रकबा 0.04 हे. 807 रकबा 0.10 हे. 808 रकबा 0.13 हे. 809 रकबा 0.11 हे. 810 रकबा 0.10 हे. 811 रकबा 0.16 हे. 814 रकबा 0.08 हे. 815 रकबा 0.11 हे. कुल किता 37 कुल रकबा 8.91 हे. तन ग्राम दीपावास तहसील नीमकाथाना में स्थित है।

उक्त वर्णित भूमि के नये सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 620, 649, 650, 651, 666, 669, 670, 671, 682 ता 684, 688, 689, 692, 749 ता 751, 776, 777, 844, 846, 847 ता 851, 871, 880 ता 887, 891, 892 कुल 37 कुल रकबा 8.91 हे. तन ग्राम दीपावास तहसील नीमकाथाना दर्ज हो गये। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 3/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज मालिक चले आ रहे है। प्रार्थीगण के उक्त हिस्से से प्रतिवादीगण व अन्य का किसी प्रकार का कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र आधार उक्त भूमि ही है।

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 जो ग्राम दीपावास में आता जाता रहता है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 अन्य व्यक्तियों से भूमि खरीदने की बातचीत कर रहे है व प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है, जबकि अप्रार्थी नं 1 का उक्त भूमि से कोई संबंध व वास्ता नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 10.4.2018 को शाम 5 बजे के लगभग वादी की उक्त भूमि मे कई व्यक्तियों के साथ आया, तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि पर मैं जबरन कब्जा करूंगा व मेरे प्रभाव से उक्त भूमि के कागजात भी मेरे नाम से बाला बाला बनवा लूंगा। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि भूमि मुतदाविया दर्ज मद संख्या 1 अर्जी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के हिस्सा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे, न दीगर से करवाये न ही भूमि की खातेदारी अपने नाम से करवाये। रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ । प्रार्थी को एक पक्षीये सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई मय आदेश नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी नं. 1 मय अधिवक्ता श्री एडवोकेट के उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी नं. 2 व 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का किसी किस्म का कोई लेना देना नही है। ना ही इनका कब्जा काश्त है। जवाब के साथ विकय पत्र की प्रति पेश की गई है उसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विकय पत्र छल कपट पूर्वक कराया गया है। विकय पत्र के समय प्रार्थीगण नाबालिग थे । भूमि पैतृक है। विकय पत्र में यह कहीं अंकित नही है कि मुझे अपने बच्चों के लालन पालन पढाई इत्यादि के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि विकय की जा रही है। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी ने जब भूमि क्रय की थी तो आज दिनांक तक नामान्तकरण दर्ज क्यों नहीं कराया गया। अप्रार्थी नं. 1 के गिरोह बना रखा है विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 का तर्क है कि प्रार्थीगण द्वारा एक तरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर अप्रार्थी को पाबंद कराया गया है। अप्रार्थी नं 1 द्वारा खातेदारान से विधिवत विकय पत्र तहरीर व तस्दीक कराकर भूमि क्रय की गई है। नाबालिग की ओर से प्राकृतिक माता मीना कंवर द्वारा भूमि विकय कर प्रतिफल राशि प्राप्त की गई है। क्रय की गई भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी नं 1 का चला आ रहा है। विकय पत्र विधिवत तस्दीक हुआ है। केतागण द्वारा कोई जबरन कब्जा नही किया जा रहा है। अप्रार्थी नं 1 सीकर का रहने वाला है। जबरन कब्जा के तथ्य झूॅठे अंकित किये गये है। प्रार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से विकय पत्र की जानकारी है, इसलिये पक्षकार बनाया गया है। नामान्तकरण एक अलग प्रकिया है जो दर्ज करा लिया जावेगा। प्रार्थीगण रजिस्ट्री को झूठी बता रहे है तो इसे कहीं चेलेंज भी नही किया गया है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नहीं । प्रत्येक बिन्दु पर मेरा विवेचन निम्नानुसार है :–

1.प्रथम दृष्टया मामलाः–

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2057–2060 के अवलोकन से प्रार्थीगण एवं उनकी माता श्रीमती मीनाकंवर विवादित भूमि के हिस्सा 1/6 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना पाये जाते है। प्रार्थीगण की माता एवं अन्य खातेदारान द्वारा दिनांक 6.11.2009 को ग्राम दीपावास के पुराने खसरा नम्बरान 592 रकबा 0.33 है. 593 रकबा 0.10 है. 594 रकबा 1.14 है. 599 रकबा 0.19 है. 612 रकबा 0.28 है. 613 रकबा 0.05 है. 614 रकबा 0.56 है. कित्ता 7 रकबा 2.65 है. का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी नं. 1 को विक्रय करना पाया जाता है। विक्रय पत्र विधिवत रूप से उप पंजीयक नीमकाथाना द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रतिफल की राशि 6,21,000.00 रू. विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई है। इस विक्रय पत्र को किसी न्यायालय में चुनौति दी गई हो, प्रमाणित नहीं हो रहा है। यदि विक्रय पत्र छल–कपट पूर्वक किया होता तो अन्य विक्रेता तथा प्रार्थीगण की माता उज्र जरूर करती । विधिक दस्तावेज(विक्रय पत्र) वर्तमान में प्रभावी है। प्रार्थीगण का हिस्सा मय हक हकूक विक्रय हो चुका है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा दोराने सुनवाई विद्ववान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गय तर्क–वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

2.सुविधा का सन्तुलनः–

जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थीगण से अधिक असुविधा अप्रार्थी नं. 1 को होगी। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया जाकर कब्जा काश्त केता को 9 वर्ष पूर्व संभला दिया गया है । प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा कर रहा हों ? प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः–

जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है,प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को कोई विधिक हानि नहीं होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण का सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय हो चुका है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रतिफल की राशि 6,21,000.00 रूपये अदा की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा कोई ऐसे ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये है जिससे उनको अप्रार्थी नं. 1 की ओर से अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना हो रही हो। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थीगण के बजाये अप्रार्थी नं. 1 को अपूरणीय क्षति होने की अधिक सम्भावना होगी। प्रार्थीगण को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहे है। फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नही है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक) नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
नीमकाथाना

Scanned by CamScanner